पुलिस आदेश.....241...../१९९४

विषय—बिहार के पुलिस पदाधिकारियों की शारीरिक योग्यता के स्तर की जांच।

पुलिस के काम में अच्छे स्वास्थ्य एवं शारीरिक कार्य-क्षमता का कितना महत्व है, यह सब को मालूम है। सुरक्षा को बदलती परिस्थितियों को देखते हुए यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि बिहार पुलिस बल के पदाधिकारियों को शारीरिक योग्यता का ऊँचा स्तर बना रहे और सम्भावित स्थितियों का सामना करने के लिए वे निरन्तर तैयार रहें। एक पुलिस पदाधिकारी के कार्य-प्रदर्शन को उसकी शारीरिक योग्यता महत्वपूर्ण तरीके से प्रभावित करती है। इसलिए यह निर्णय लिया गया है कि वार्षिक गोपनीय अभ्युक्तियों में शारीरिक योग्यता को पदाधिकारियों के मूल्यांकन का एक महत्वपूर्ण अंग माना जाय। बिहार के पुलिस पदाधिकारियों की शारीरिक योग्यता की जाँच हेतु निम्नांकित आदेश दिया जाता है :

२. बिहार पुलिस बल के अवर निरीक्षक से महानिदेशक स्तर के (जिसमें डो० जी० पुलिस भी शामिल हैं) सभी पदाधिकारियों को प्रत्येक वर्ष के मार्च महीने में "शारीरिक योग्यता जाँच" परीक्षा में सम्मिलित होना होगा जिसमें उनको जाँच परिशिष्ट एक में निर्दिष्ट विधियों से की जायेगी।

३. परीक्षा के कुल ४० अंकों का श्रेणीकरण निम्न प्रकार से किया जायेगा :—

क—उत्कृष्ट	३२ तथा इससे अधिक
ख—बहुत अच्छा	२८ से ३१
ग—अच्छा	२४ से २७
घ—संतोषजनक	२० से २३
च—असंतोषजनक	२० से कम

४. शारीरिक योग्यता परीक्षा फल को तृतीयक में तैयार किया जायेगा जिसकी एक प्रति जाँच करने वाले पदाधिकारी के पास जायेगी जबकि दो प्रतियाँ प्रत्येक वर्ष के अप्रील के प्रथम सप्ताह में नियंत्रक पदाधिकारी (Controlling Officer) को भेज दी जायेगी। नियंत्रक पदाधिकारी (Controlling Officer) एक प्रति अपने कार्यालय में रखेंगे तथा एक प्रति प्रतिवेदक पदाधिकारी (Reporting Officer) को भेज देंगे।

(क) वर्ष १९९३-९४ तथा इसके बाद की वार्षिक गोपनीय अभ्युक्तियों के आलेखन में मूल्यांकन का एक महत्वपूर्ण मापदण्ड शारीरिक योग्यता जाँच में संबंधित पदाधिकारी का प्रदर्शन प्राप्तांक होगा।

(ख) अवर निरीक्षक/निरीक्षक/उपाधीक्षक कोटि के पदाधिकारियों की वार्षिक गोपनीय पुस्ति में शारीरिक योग्यता जाँच में उनके प्रदर्शन (प्राप्तांक) का उद्धरण समाविष्ट किया जायेगा।

(ग) अपने अधीन कार्य करने वाले आरक्षी अवर निरीक्षक/निरीक्षक/उपाधीक्षक कोटि के पदाधिकारियों की जाँच के लिए संबंधित आरक्षी अधीक्षक/समादेष्टा द्वारा जाँच-परीक्षा आयोजित की जायेगी।

(घ) आरक्षी अधीक्षक तथा इसके ऊपर की कोटि के पुलिस पदाधिकारियों की जाँच के लिए परीक्षा उनके नियंत्रक पदाधिकारी द्वारा आयोजित की जायेगी अर्थात् संबंधित पदाधिकारी के पर्यवेक्षण तथा नियंत्रण के प्रभार में दूसरे ऊँचे पद पर जो पदाधिकारी होंगे उनके द्वारा यह परीक्षा ली जायेगी।

(च) जिला पुलिस/बटालियन के चिकित्सा पदाधिकारी इन शारीरिक योग्यता जाँच परीक्षाओं में उपस्थित रहेंगे।

(छ) अखिल भारतीय सेवा के पदाधिकारियों के कद, वजन, सीना और कमर की माप को उनकी शारीरिक दक्षता जाँच में शामिल किया जायेगा।

(ज) परिशिष्ट एक में जाँच के जो स्तर निर्दिष्ट किये गये हैं उनकी जानकारी पुलिस बल के प्रत्येक कर्मी और सभी पदाधिकारियों को दे दी जायेगी ताकि वे अपनी शारीरिक योग्यता में अपेक्षित सुधार लाने का प्रयास आरम्भ कर दें और मार्च १९९४ तक वांछित परीक्षा फल अर्जित करने के [illegible] हो जायें ।

५. पुलिस बल के सदस्यों के लिए यह आवश्यक है कि वे अपने वजन और [illegible] पर यथावांछित नियंत्रण रखें । परिशिष्ट दो में एक मानक विवरणी दे दी गयी है जिसमें बताया गया है कि लोगों के कद (मध्यम शरीर) के अनुसार कितना वजन होना चाहिए ।

अधीनस्थ पदाधिकारियों को उपर्युक्त आदेश से अवगत कराते हुए उनको परामर्श दिया जाय कि वे अपने शरीर के वजन को वांछित सीमा के अन्दर रखें, विशेष रूप से अपने पेट के ऊपर और नीचे के फैलाव और मोटाई को कम करना शुरू कर दें ।

६. जो शारीरिक दृष्टि से योग्य नहीं हैं उनको अपना स्वास्थ्य और शारीरिक योग्यता सुधारनी होगी, क्योंकि पुलिस बल में शारीरिक दृष्टि से अयोग्य पदाधिकारियों के लिए कोई स्थान नहीं है और ऐसे लोगों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति कराने पर विचार किया जा सकता है ।

इस आदेश पर उचित और आवश्यक कार्रवाई करने तथा इसका अनुपालन हर स्तर पर सुनिश्चित करने हेतु सभी संबंधित पदाधिकारियों को इससे अवगत कराया जाय ।

७. संख्या की अधिकता के कारण यह वार्षिक शारीरिक जाँच अवर निरीक्षक की श्रेणी के नीचे की श्रेणियों के कर्मियों के लिए करवाये जाने में व्यावहारिक कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए फिलहाल यह वार्षिक शारीरिक जाँच अवर निरीक्षक एवं उससे ऊपर की श्रेणियों के पदाधिकारियों के लिए निर्धारित की जा रही है ।

आशा की जाती है कि बिहार पुलिस के सभी वर्ग के कर्मी स्वास्थ्य एवं शारीरिक क्षमता के प्रति इससे प्रेरित होंगे और जागरूक रहेंगे ।

८. यह वार्षिक शारीरिक जांच जितनी विभाग के हित के लिए है, उससे अधिक पुलिसकर्मियों के अपने स्वास्थ्य के हित में हैं ।

इसका सफल कार्यान्वयन सभी के सहयोग से ही सम्भव हो पायेगा । यह सहयोग अपेक्षित है एवं इसके लिए सभी से अनुरोध है ।

विजय जैन

(विजय जैन)
महानिदेशक एवं आरक्षी महानिरीक्षक,
बिहार, पटना ।